संख्या- 73 /2020 / 611 /चार-2020 -110 (वि0)/ 2017

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2020

विषय:- जनपद बलरामपुर में इमिलिया कोडर में या उसके आस-पास थारू जनजाति से संबंधित संस्कृति को संरक्षित रखने के संबंध में संग्रहालय के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2260/चार-2019-110(वि0)/2017 दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 द्वारा जनपद बलरामपुर में इमिलिया कोडर में या उसके आस-पास थारू जनजाति से संबंधित संस्कृति को संरक्षित रखने के संबंध में संग्रहालय के निर्माण हेतु मूल्यांकित लागत रू0 1974.47 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बलरामपुर में इमिलिया कोडर में या उसके आस-पास थारू जनजाति से संबंधित संस्कृति को संरक्षित रखने के संबंध में संग्रहालय के निर्माण हेतु मूल्यांकित लागत रू0 1974.47 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 886.00 लाख (रूपये आठ करोड छियासी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

4- शासनादेश संख्या-63/2019/607/चार-2019-110(वि0)/2017 दिनांक 10 मार्च, 2019, शासनादेश संख्या-86/2019/780/चार-2019-110(वि0)/2017 दिनांक 25 मार्च, 2019 एवं संख्या-2260/चार-2019-110(वि0)/2017 दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

5- उपर्युक्त स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक-4202 -शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति -106- संग्रहालय-10-जनपद बलरामपुर में इमिलिया कोडर व उसके आस-पास थारू जनजाति की संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 73 /2020/ 611 /चार-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, कन्सट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम लि0 लखनऊ।
4- परियोजना प्रबन्धक, कन्सट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम लि0 यूनिट-34, बस्ती ।
5- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4,
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।